न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 19/2024

प्रार्थी

श्रीमती पंकुदेवी पत्नी रगाराम जी, जाति–मेघवाल, निवासी–झाड़ोली वीर, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

ग्राम पंचायत, झाडोली वीर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, झाडोली वीर, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, अप्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 23 दिसम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा प्रार्थीया के विरुद्ध ग्राम पंचायत की बिना अनुमति निर्माण करने एवं रास्ते की भूमि पर निर्माण कार्य कर रास्ते को बन्द करने से अवैध निर्माण हटाने के संबंध में जारी नोटिस क्रमांकःग्रा.पं.झा./2024/26 दिनांक 29.3.2024 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर तामिल करवाया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं जवाब के साथ संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई।

(3) उभय पक्ष के अधिवक्तागण की दिनांक 17.12.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान प्रार्थीया के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया के पति रगाराम पुत्र खंगारजी मेघवाल के नाम एक निःशुल्क आवंटित आवासीय भूखण्ड़ का पट्टा दिनांक 29.06.1994 को ग्राम पंचायत झाड़ोली वीर द्वारा जारी किया गया है, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड़ आवंटने करने के नियमों के तहत जारी किया गया है। उक्त निःशुल्क आवंटित भूखण्ड़ के उत्तर में पेचके की भूमि, दक्षिण में हंसीया पुत्र मुफाजी मेघवाल का मकान, पूर्व में पड़त भूमि व पश्चिम में गली व दरवाजा है तथा भूखण्ड़ का नाप 30X45 फीट कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट है। प्रार्थीया के पति को निःशुल्क आवंटित उक्त नाप व चतुदर्शी के आवासीय भूखण्ड पर पुराना कच्चा केलुपोश मकान बना हुआ था जो काफी पुराना होने व जर्जर होने से धवस्त हो चुका है। प्रार्थीया के पति की मृत्यु हो चुकी है एवं प्रार्थीया की आर्थिक स्थिति सही न होने से नये सर मकान का निर्माण नहीं करा सकती एवं बाउण्ड्री वॉल का निर्माण करवाया है। प्रार्थीया के पुत्र द्वारा मकान निर्माण हेतु एन.ओ.सी. की ग्राम पंचायत, झाडोली वीर से मांग करने पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत के पदाधिकारी जानबूझकर प्रार्थीया को मकान निर्माण की एन.ओ.सी. जारी नहीं कर रहे है एवं अवैध रूप से सरपंच द्वारा राशि की मांग की जा रही है। जिसे नहीं देने पर प्रार्थीया को तंग करने की बदनियति से एक नोटिस दिनांक 29.3.2024 को व दिनांक

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

14.9.2023 को बिना किसी आधार से गलत नोटिस इस आशय का प्रेषित किया कि रास्ते की भूमि पर निर्माण किये जाने से उक्त बाउण्ड्री वॉल को हटा देवे, जबकि प्रार्थीया द्वारा मौके पर रास्ते पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है एवं न ही प्रार्थीया के पट्टेशुदा भूखण्ड़ के तीन दिशाओं में रास्ते की भूमि है बल्कि जो रास्ता आया हुआ है वह प्रार्थीया के भूखण्ड़ के पश्चिम दिशा में है, जहां पर दरवाजा खुला हुआ है। इस प्रकार, अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर कोई रास्ता नहीं होते हुए भी गलत आरोप लगाकर प्रार्थीया एक महिला होने से परेशान करने की बदनियति से गलत नोटिस प्रेषित किया जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया के पति को पट्टा जारी किये 30 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है एवं पट्टे की चतुदर्शी व नक्शे को देखने से स्पष्ट जाहिर है कि पश्चिम दिशा को छोड़कर तीनों दिशा में पट्टे में रास्ते की कोई भूमि अंकित नहीं है, फिर भी अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आधार के रास्ते का अस्तित्व नहीं होते हुए भी गलत तरीके से मात्र परेशान करने की बदनियति से गलत नोटिस प्रेषित किया है एवं जानबूझकर मकान निर्माण हेतु एन.ओ.सी. जारी नहीं कर रही हैं, इस कारण से उक्त नोटिस अपने आप में अवैध व शून्य है। यह कि प्रार्थीया द्वारा जब रास्ते की भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया है उसे हटाये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत बाउण्ड्री वॉल निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की कोई एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं है एवं न ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत नियम 68 के तहत यदि पंचायत की बिना अनुज्ञा के निर्माण कर भी दिया है तो ग्राम पंचायत द्वारा केवल मात्र 2/— प्रति वर्गमीटर की दर से अधिकतम 500/— रुपये (अक्षरे पांच सौ रुपये मात्र) प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी अप्रार्थी ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा नियमों से परे जाकर अपने पद का दुरुपयोग करके एक महिला से अवैध राशि वसूल करने के लिये जो नोटिस आदेश जारी किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांक 26 दिनांक 29.3.2024 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, झाडोली वीर के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने अप्रार्थी ग्राम पंचायत, झाडोली वीर की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया के पति रगाराम खंगारजी के नाम से ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का पट्टा दिनांक 29.6.1994 को जारी किया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 30X45=1350 वर्गफीट है एवं प्रार्थीया द्वारा चतुदर्शी मे उत्तर दिशा में पेचका भूमि बताई है जबकि पट्टे व भौतिक रूप से पडत भूमि ग्राम पंचायत की है। प्रार्थीया के पति को जो निःशुल्क भूखण्ड वर्ष 1994 में आवंटित हुआ था उस पर प्रार्थीया अनवरत रुप से काबिज है। प्रार्थीया ने पट्टे से ज्यादा भूमि व रास्ते की भूमि पर 4 फीट दिवार निर्मित की गई है। प्रार्थीया ने निर्माण कार्य करने हेतु ग्राम पंचायत, झाडोली वीर से किसी प्रकार की एन.ओ.सी. नही चाही है। प्रार्थीया ने अपनी मर्जी से निर्माण कार्य किया जो अपने भूखण्ड साईज 30 X 45 से ज्यादा 55 X 55.6 वर्गफीट भूमि पर 4 फीट तक चार दिवारी निर्मित की है जो अतिक्रमण व अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा प्रार्थी को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस वर्ष 2023 से जारी किये, लेकिन प्रार्थीया न कोई आदिंनाक तक प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया। मौके पर प्रार्थीया ने प्रार्थीया के पति के नाम जारी निःशुल्क आवासीय भूखण्ड के पट्टे में अंकित क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट के स्थान पर प्रार्थीया ने पट्टे से ज्यादा अतिरिक्त भूमि को शामिल करते हुऐ उत्तर दिशा की तरफ अतिक्रमण कर 55 X 55.6 वर्गफीट भूमि पर अवैध निर्माण कर 4 फीट की चार दिवारी निर्माण की है। प्रार्थीया के पट्टे के पूर्व दिशा में स्थित प्लोट की निकासी

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पश्चिम मे होने से प्रार्थीया ने चार दिवारी निर्मित कर उनका आवागमन बन्द कर दिया गया। जिससे उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने व आवागमन के लिये रास्ता प्रार्थीया के प्लोट 30X45 फीट की भूमि छोडकर देने हेतु सही व नियमानुसार नोटिस जारी किये गये है। प्रार्थीया का हक प्रार्थीया के पति के नाम से जारी पट्टे में अंकित नाप 30 X 45 वर्गफीट भूमि पर ही है, जबकि प्रार्थीया ने रास्ते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर 3052 वर्गफीट कर काबिज होने की मंशा से 55 X 55.6 फीट भूमि पर नीवं भरकर भूमि के उपर 4 फीट की चार दिवारी निर्मित की है, जो अतिक्रमण व अवैध निर्माण होने से प्रार्थीया को विधि अनुरुप नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थीया द्वारा 30X45 वर्गफीट से अधिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण से अन्य प्लोट व मकानो का आवागमन बन्द होने से पूर्व में ही ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा दिनांक 06.1.2023 को शांतिदेवी पत्नी सरूपाजी राजपुरोहित, निवासी– झाडोली वीर को नल कनेक्शन की एन.ओ.सी. हेतु रसीद संख्या 39 दिनांक 09.01.2023 से 500/– रूपयें जमा कराये, इसके बाद मे प्रार्थीया द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने पर ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा नोटिस क्रमांक 80 दिनांक 14.9.2023, नोटिस क्रमांक 24 दिनांक 22.3.2024 व नोटिस क्रमांक 26 दिनांक 29.3.2024 को जारी कर प्रार्थीया द्वारा बिना अनुमति चार दिवारी निर्माण कर रास्ते की भूमि को बन्द कर दिया जाने से अवैध निर्माण व अतिक्रमण को हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। यह कि दिनांक 19.3.2024 को श्रीमती शांतिदेवी पत्नी सरूपाराम पुरोहित, निवासी–झाडौलीवीर द्वारा अपने कब्जाशुदा प्लोट में आने जाने के रास्ते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर रास्ता सुचारू करने बाबत् प्रार्थना पत्र दिया गया। ग्राम पंचायत झाडोली वीर द्वारा संलग्न अनुसार नक्शा अनुसार मौके पर प्रार्थीया के पट्टे की भूमि की पैमाईश की गई जिसमें 30X45 फीट से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर तीन नोटिस देने के बाद भी किसी प्रकार का प्रतिउत्तर या कोई भी वैधानिक दस्तावेजो की प्रति प्रार्थीया द्वारा पंचायत में प्रस्तुत नही करने पर ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा दिनांक 17.5.2024 को उक्त पट्टे में अंकित भूमि के अलावा भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने विकास अधिकारी पंचायत समिति, शिवगंज को पत्र संख्या 35 दिनांक 03.5.2024 को जारी कर मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त करे व पुलिस जाब्ता हेतु अनुरोध किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शिवगंज के पत्र संख्या 422 दिनांक 08.5.2024 के द्वारा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शिवगंज को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने की समस्त प्रक्रिया की विधिवत पालना हेतु मौका मजिस्ट्रेट के रूप उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिवगंज के पत्रांक 422 दिनांक 08.5.2024 के प्रतिउत्तर में जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा उप अधीक्षक पुलिस, शिवगंज को आवश्यकतानुसार जाब्ता उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा प्रार्थीया के पट्टे मे अंकित भूमि के अलावा भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की समस्त प्रक्रिया के दस्तावेजो का अवलोकन नियुक्त मौका मजिस्ट्रेट तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शिवगंज द्वारा किया जाने बाद ग्राम पंचायत की कार्यवाही विधि सम्मत पाये जाने व अतिक्रमणशुदा भूमि को चिंहित की जाने के बाद अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही शुरू करने की अनुमति प्रदान की तथा ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा दिनांक 17.5.2024 को प्रार्थीया के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सम्पन्न करते हुए प्रार्थीया द्वारा उक्त पट्टे से अधिक भूमि पर किये गये अवैध निर्माण व रास्ते पर निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है। उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में मौके पर प्रार्थीया के पति के नाम जारी पट्टा संख्या 2 दिनांक 29.6.1994 की भूमि 30X45= 1350 वर्गफीट भूमि पर कोई कार्यवाही नही की है, उस पर आज भी प्रार्थीया पूर्णतया काबिज है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * राजस्थान
सत्यमेव जयते

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा प्रार्थीया श्रीमती पंकुदेवी पत्नी श्री रगाराम मेघवाल, निवासी– झाडोली वीर को नोटिस क्रमांकःग्रा.प.झा./2024/26 दिनांक 29.3.2024 को इस आशय का जारी किया गया है कि "आपको निर्माण कार्य को रुकवाने के बाद भी आपने अपने स्तर पर पंचायत की अनुमति लिये बिना ही बाउण्ड्री का निर्माण करवाया है तथा रास्ते की भूमि पर निर्माण कर रास्ते को बन्द कर दिया है, इस बाउण्ड्री को हटाने के लिये ग्राम पंचायत से दो बार पूर्व में भी नोटिस क्रमांक 80 दिनांक 14.3.2024 व 24 दिनांक 22.3.2024 को दिये गये है, इसके उपरान्त भी बाउण्ड्री को नही हटवाया है, इसलिये अपने निर्माण को सात दिवस में रास्ते की भूमि से हटा देवे, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार हटाने की कार्यवाही की जायेगी।"

इस संबंध में प्रार्थीया का मुख्यतः कथन यह है कि "प्रार्थीया के पति रगाराम पुत्र खंगारजी मेघवाल के नाम एक निःशुल्क आवंटित आवासीय भूखण्ड़ का पट्टा दिनांक 29.06.1994 को ग्राम पंचायत झाड़ोली वीर द्वारा जारी किया गया है, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटने करने के नियमों के तहत जारी किया गया है। उक्त निःशुल्क आवंटित भूखण्ड़ के उत्तर में पेचके की भूमि, दक्षिण में हंसीया पुत्र मुफाजी मेघवाल का मकान, पूर्व में पड़त भूमि व पश्चिम में गली व दरवाजा है तथा भूखण्ड़ का नाप 30X45 फीट कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट है। प्रार्थीया के पति को निःशुल्क आवंटित उक्त नाप व चतुदर्शी के आवासीय भूखण्ड पर पुराना कच्चा केलुपोश मकान बना हुआ था जो काफी पुराना होने व जर्जर होने से धवस्त हो चुका है। प्रार्थीया के पति की मृत्यु हो चुकी है एवं प्रार्थीया की आर्थिक स्थिति सही न होने से नये सर मकान का निर्माण नहीं करा सकती एवं बाउण्ड्री वॉल का निर्माण करवाया है।" प्रार्थीया का यह भी कथन है कि "प्रार्थीया द्वारा मौके पर रास्ते पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है एवं न ही प्रार्थीया के पट्टेशुदा भूखण्ड़ के तीन दिशाओं में रास्ते की भूमि है बल्कि जो रास्ता आया हुआ है वह प्रार्थीया के भूखण्ड़ के पश्चिम दिशा में है, जहां पर दरवाजा खुला हुआ है।" जबकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, झाडोली वीर का यह कथन है कि "प्रार्थीया के पति रगाराम खंगारजी के नाम से ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का पट्टा दिनांक 29.6.1994 को जारी किया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 30X45=1350 वर्गफीट है एवं प्रार्थीया द्वारा चतुदर्शी मे उत्तर दिशा में पेचका भूमि बताई है जबकि पट्टे व भौतिक रूप से पडत भूमि ग्राम पंचायत की है। प्रार्थीया के पति को जो निःशुल्क भूखण्ड वर्ष 1994 में आवंटित हुआ था उस पर प्रार्थीया अनवरत रुप से काबिज है। प्रार्थीया ने पट्टे से ज्यादा भूमि व रास्ते की भूमि पर 4 फीट दिवार निर्मित की गई है।" अप्रार्थी ग्राम पंचायत का यह भी कथन है कि "प्रार्थीया ने अपने भूखण्ड साईज 30 X 45 फीट से ज्यादा 55 X 55.6 वर्गफीट भूमि पर 4 फीट तक चार दिवारी निर्मित की है जो अतिक्रमण व अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।" अप्रार्थी ग्राम पंचायत, झाडोली वीर का यह भी कथन है कि "दिनांक 17.5.2024 को प्रार्थीया के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सम्पन्न करते हुए प्रार्थीया द्वारा उक्त पट्टे से अधिक भूमि पर किये गये अवैध निर्माण व रास्ते पर निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है। उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में मौके पर प्रार्थीया के पति के नाम जारी पट्टा संख्या 2 दिनांक 29.6.1994 की भूमि 30X45= 1350 वर्गफीट भूमि पर कोई कार्यवाही नही की है, उस पर आज भी प्रार्थीया पूर्णतया काबिज है।"

प्रकरण में ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा मौके पर उक्त पट्टे में अंकित नाप से अधिक भूमि व रास्ते पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

कार्य किया जाने से ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा प्रार्थीया को उक्त अवैध निर्माण व रास्ते से अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी करते हुए विधि अनुरुप कार्यवाही कर ग्राम पंचायत, झाडोली वीर द्वारा दिनांक 17.5.2024 को प्रार्थीया द्वारा पट्टे से अधिक भूमि व रास्ते की भूमि पर निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है, जो न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 17.5.2024 से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीया का निगरानी आवेदन सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थी सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही* न्यायालय
सत्यमेव जयते